

समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
विधान सभा अतांरकित प्रश्न संख्या: 271
प्रश्नकर्ता: श्री गिरीश सोनी
दिनोंक: 11.08.2017

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन का काम पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा चुका है;	जी हाँ । समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन का काम ऑनलाइन किया जा चुका है ।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या अब समाज कल्याण के जिला कार्यालय पेंशन के आवेदन नहीं लिए जा रहे;	समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाओं के फार्म भरने हेतु एकल खिड़की पर उपलब्ध कर्मचारी आवेदक का ऑनलाइनफार्म भरने में सहायता प्रदान करता है ।
(ग)	यदि नहीं, तो कौन सी योजनाओं के पेंशन फार्म एकल खिड़की पर भी लिए जा रहे हैं;	
(घ)	साल 2015-16, 2016-17 में ऐसे कितने पेंशन धारक हैं जो विभिन्न योजनाओं में पेंशन ले रहे हैं; और	साल 2015-16 और 2016-17 में पेंशनधारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है- वर्ष 2015-16 वृद्धावस्था लाभार्थी - 388471 विकलांग लाभार्थी - 63431 वर्ष 2016-17 वृद्धावस्था लाभार्थी - 381843 विकलांग लाभार्थी - 71581
(ङ)	मादी पुर विधान सभा में इनकी संख्या कितनी है; और	मादीपुर विधान सभा क्षेत्र की लाभान्वितों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:- वृद्धावस्था लाभार्थी - 6623 विकलांग लाभार्थी - 905
(च)	ऐसे कितने पेंशन धारक मादीपुर विधान सभा में हैं जिन्हें कोर्ट के आदेश से पहले एमसीडी से पेंशन दी जाती थी परन्तु अब उन्हें दिल्ली सरकार पेंशन दे रही है?	मादीपुर विधान सभा में ऐसे पेंशन धारक जिन्हें कोर्ट के आदेश से पहले एमसीडी से पेंशन दी जाती थी परन्तु अब उन्हें दिल्ली सरकार पेंशन दे रही है, का ब्यौरा निम्न प्रकार है - वृद्धावस्था लाभार्थी - 01 विकलांग लाभार्थी - 0

पंकज कुमार
SP Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002